हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब द्वारा दिनांक 27.10.2021 को श्रीयुत ए वन एन्टेर्प्रिसिस प्रोपराइटर श्रीमती मोनिका गर्ग हाउस नंबर-603, सेक्टर-7 पंचकूला, हरियाणा की मोजा मोहाल बांगरन, खसरा नंबर 368/288/239/2 और कुल खनन क्षेत्र 4.2441 हेक्टेयर (50.07 बीघा) तहसील पाँवटा साहिब, जिला सिरमौर , (हि. प्र.) भूमि पर रेत, बजरी, पत्थर व बोल्डर खनन (क्षमता 94,386 टन प्रति वर्ष) हेतु खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण :

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब द्वारा दिनांक 27.10.2021 को श्रीयुत **ए वन एन्टेर्प्रिसिस प्रोपराइटर श्रीमती मोनिका गर्ग हाउस नंबर-603, सेक्टर-7 पंचकूला, हरियाणा** की खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई मंदिर भवन मुख्य सड़क ग्राम बांगरन, तहसील पाँवटा साहिब जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में संपन्न की गई। प्रस्तावित खनन **पट्टा मौजा मोहाल बांगरन, खसरा नंबर 368/288/239/2 और कुल खनन क्षेत्र 4.2441 हेक्टेयर (50.07 बीघा) तहसील पाँवटा साहिब, जिला सिरमौर , (हि. प्र.) भूमि पर रेत, बजरी, पत्थर व बोल्डर खनन (क्षमता 94,386 टन प्रति वर्ष)** हेतु, ई. आई. ए. अधिसूचना क्रमांक 1533 दिनांक 14.09.2006 के अतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जन सुनवाई का आयोजन उपायुक्त सिरमौर कि अध्यक्षता में किया गया। इस जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूचि **संलग्न-1** में उपलब्ध है। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई कि पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया। तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावको एवं उनके प्रतिनिधि तकनीकी परामर्शदाता के द्वारा परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया। अन्त मे कंपनी के प्रतिनिधि ने परियोजना को कार्यान्वित करने में स्थानीय जनता का सहयोग माँगा तथा उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जनसुनवाई आरम्भ की गई।

क्रम संख्या	नाम व पता	उठाये गए मुद्दे	मुद्दों पर टिपण्णी
1	श्री वीरिंदर सिंह फूलपुर पंचायत।	इन्होने कहा कि स्थनीय ग्रामवासियों को घर बनाने के लिए नि: शुल्क आवश्यक रेत बजरी दी जाए।	परियोजना प्रस्तावक ने आश्वासन दिया कि ग्रामवासियों को आवश्यकता अनुसार घर बनाने के लिए रेत व बजरी नि: शुल्क दी जाएगी।
2	श्री मंगत राम, ग्राम बांगरण।	इन्होने कहा कि माल ढुलाई के लिए स्थानीय लोगों के ट्रैक्टर-ट्रालियों को ही प्राथमिकता दी जाए। हमारे ट्रैक्टर खनन पट्टा क्षेत्र से माल उठा कर स्टोन क्रशर साइट जो की मानपुर देवड़ा मे है, पर ले जाएगे। मानपुर देवड़ा के लोग हमारे	परियोजना प्रस्तावक ने आश्वासन दिया कि हम स्थानीय लोगों के ट्रैक्टर ट्रालियों को ही माल ढुलाई के लिए प्राथमिकता देंगे तथा यदि ट्रैक्टर के प्रवेश पर मानपुर देवडा के लोग अनावश्यक विरोध करते है तो

		ट्रैक्टर को उनके क्षेत्र मे प्रवेश पर विरोध करते है। हम इस समस्या का भी समाधान चाहते है।	प्रशासन इस विषय पर कारवाही करेगा। साथ ही इन्होने कहा कि स्थानीय लोगों की अन्य समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा।
3	श्रीमती तारो देवी, प्रधान फूलपुर पंचायत।	इन्होने कहा कि स्थानीय पंचायत के लोगों को ही प्रस्तावित परियोजना में रोजगार मिलना चाहिए, साथ ही स्थानीय लोगों को घर बनाने के लिए कच्चा माल प्राप्त करने में कोई समस्या ना हो और ये भी सुनिश्चित किया जाए की खनन क्षेत्र के साथ लगती जमीन को कोई नुकसान ना हो।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि परियोजना स्थानीय लोगो को ही रोजगार मे प्राथमिकता दी जाएगी व घर बनाने के लिए स्थानीय पंचायत के गरीब लोगो को रेत, बजरी आदि निशुल्क दे कर मदद की जाएगी।
4	श्री मिंटू राम, ग्राम बांगरन।	इन्होने कहा कि खनन होने से हमारे साथ लगते खेतों को नुकसान होगा क्योंकि धूल-मिट्टी उड़ने की सम्भावना है। परियोजना प्रस्तावक बताये की ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए वह क्या कर रहे है। इन्होने यह भी कहा कि माल ढुलाई के लिए स्थानीय ट्रैक्टर को ही किराये पर लिया जाए।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि खनन में कोई बड़ी मशीन का उपयोग नहीं होगा और खनन केवल मजदूरों द्वारा साधारण उपकरणों जैसे की फावड़ा आदि से किया जायेगा जिसमें ध्वनि प्रदूषण की सम्भावना नहीं है और धूल भी बहुत कम उड़ेगी फिर भी धूल को रोकने के लिए पानी के टैंकर द्वारा दिन मे 2 बार छिड़काव किया जाएगा। इन्होने यह भी कहा कि प्रस्तावित परियोजना मे केवल 10 ट्रैक्टर किराये पर लिए जायेंगे और स्थानीय पंचायत ट्रैक्टर को किराये पर देने हेतु हमें सूचि भी मुहैया करा सकती है हम उन्ही ट्रैक्टर को लगारेंगे।
5	श्री मान सिंह ग्राम बांगरन।	इन्होने भी कहा कि स्थानीय लोगो को घर बनाने के लिए कच्चा माल आसानी से मिले।	परियोजना प्रस्तावक ने पुनः आश्वासन दिया कि जरूरतमंद आदमी को घर बनाने के लिए कच्चा माल दे कर मदद की जाएगी।

6	श्रीमती गीता शर्मा, ग्राम बांगरन।	इन्होने कहा कि हमारे क्षेत्र मे पीने के पानी की भी समस्या है, लोगों के घरो मे पीने का पानी नही पहुँच रहा है। साथ ही हमारे घरों के साथ लगते डंगे भी टूट रहे है।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि खनन पट्टे के साथ लगती जमीन पर कोई डंगे नही है जिसे खनन से कोई खतरा हो। पानी की समस्या को प्रशासन के ध्यान मे लाया जा रहा है।
7	श्रीमती गुलाबी देवी, ग्राम बांगरन।	इन्होने कहा कि हमारे घर गिरी नदी के किनारे पर है और खनन से उड़ने वाली धूल हवा के साथ उड़ कर हमारे घरो मे आती है। हमारे घर तक सड़क भी नहीं है ताकि आप पानी के टैंकर से छिड़काव कर सके।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि हम खनन हो रही जगह पर ही धूल को पानी के छिड़काव से नियंत्रित कर लेंगे व जिन सड़कों से माल ढुलाई वाले वाहन चलेंगे उनपर भी पानी का छिड़काव करेंगे। हम मोके पर जा कर भी ये सुनिश्चित करेंगे कि यदि धूल घरों तक पहुँचती है तो इसे किस प्रकार रोका जाए।

....

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी लोगो से निसंकोच परियोजना के सन्दर्भ मे अपने विचार / सुझाव / आप्पतियाँ प्रकट करने का आह्वान किया गया। जनसुनवाई के समापन से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनता को आश्वासन दिया गया कि उठाए गए सभी मुद्दों, सुझावो, विचारो और टिप्पणियों को नोट किया गया है एवं इस जनसुनवाई की कार्यवाही को कलमबध कर आगामी कार्यवाही के लिए भेज दिया जाएगा। अंत मे जनसुनवाई के समापन पर जिलाधीश महोदय द्वारा सभी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया।

उपायुक्त सिरमौर

नाहन,जिला सिरमौर (हि. प्र.)